न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)

दावा पत्र [illegible] 2024

निर्णय दिनांक 13/08/2024

तहसीलदार तहसील कोटखावदा बनाम सिवायचक भूमि

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

तहसीलदार कोटखावदा के प्रार्थना पत्र संलग्न निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम खेजडी खुर्द पटवार हल्का श्रीपुरा तहसील कोटखावदा के आराजी खसरा नंबरान 461 रकबा 1.06 है० एवं खसरा नंबर 506 रकबा 0.98 है० में से है० निजी खातेदारी एवं सिवायचक भूमि में ग्रेवल सड़क चालू होना तथा खातेदारों द्वारा मौके पर प्रस्तावित भूमि रास्ते के रूप में, मौके अनुसार रिकॉर्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत तहसीलदार कोटखावदा से प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रकरण एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत जाहिर होता है कि मौके पर सिवायचक भूमि में से रास्ता प्रस्तावित किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज० भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प3 (2) राज–6/2003/ पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम खेजडी खुर्द में नजरी नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार दर्ज सिवायचक भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गै. मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कोटखावदा को आदेश किया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा की निम्न खसरा नंबरों की कृषि भूमियो बाबत राजस्व अभिलेख में रास्ते के पृथक ख० न० अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरनीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार चाकसू द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेगें।

क्र.स	नाम राजस्व ग्राम	ख०न०	कुल रकबा	किस्म	रास्ते/सडक दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा	वि०वि
1	खेजडी खुर्द	461	1.06	गै०मु० टीबा		
2	खेजडी खुर्द	506	0.98	चाही 2 बजड		

पालनार्थ तहसीलदार तहसील कोटखावदा को तहरीर जारी हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)